प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1106/2001</u>

अपीलार्थी	:	सुरजन राम पिता भगतु राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, काश्तकार एवं निवासी ग्राम सुखरी, थाना व तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
		<u>विरूद्ध</u>
उत्तरवादी	:	छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1182/2001</u>

अपीलार्थी	:	बेचन राम, पिता बनिया राम,
अभियुक्त		उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम सुखरी, थाना व तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा
<u>विरूद्ध</u>		
उत्तरवादी	:	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना – थाना अंबिकापुर जिला – सुरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>**दाण्डिक अपील संख्या 1211/2001**</u>

अपीलार्थीगण (जेल में) :

1. अचंभित राम, पिता बुद्धुराम राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, पेशा - काश्तकार,
2. धरमपाल दास, पिता बिगानराम, उम्र लगभग 38 वर्ष, पेशा -काश्तकार,
3. पाल दास, पिता स्व. बिगानराम, उम्र लगभग 32 वर्ष, पेशा - काश्तकार,
4. नोहर दास, पिता पंचम दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, पेशा - काश्तकार,
5. लखनराम, पिता छेरतूराम, उम्र लगभग 26 वर्ष, पेशा - काश्तकार,
6. हरिहर दास, पिता ठोगल दास, उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशा - काश्तकार,
7. बेचैन राम, पिता बनिया राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, पेशा- काश्तकार

सभी निवासी - ग्राम सुखरी, थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

<u>**विरूद्ध**</u>

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा पुलिस थाना – जयनगर

जिला – सुरगुजा (छ.ग.)

एवम

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 551/2001</u>

आवेदकगण 1. पुरनराम पिता – शिवनंदन, उम्र लगभग – 38 वर्ष, पेशा – कृषि,

(मृतक रामनारायण का भाई)

2. प्रभुराम पिता – गेंदराम, उम्र लगभग – 45 वर्ष, पेशा – कृषि,

(मृतक जगधारी का भाई)

दोनों निवासी – ग्राम रनपुरकला, पुलिस थाना \ तहसील – अंबिकापुर, पोस्ट – सुखरी, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

<u>विरुद्ध</u>

अनावेदकगण :1. छोटकू उर्फ़ राम प्रसाद, पिता – मीरुरम,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उम्र – 26 वर्ष, पेशा – व्यवसाय,

2. हुलास राम, पिता – बाजी प्रसाद, उम्र 30 वर्ष, पेशा – कृषि,

3. धनी उर्फ़ धनेश्वर, पिता – मुनेश्वर, उम्र 48 वर्ष, पेशा – कृषि,

4. भोरलू उर्फ़ मोहन दास, पिता – बुधारी, उम्र 60 वर्ष, पेशा – कृषि,

5. श्यामलाल उर्फ़ अमोदि्लहा, पिता – देवनाथ, उम्र 40 वर्ष, पेशा – कृषि,

6. दशाई राम, पिता – अगर साय, उम्र 28 वर्ष, पेशा – कृषि,

7. रामदेव, पिता – सोन साय, उम्र 27 वर्ष, पेशा – कृषि,

8. बलदेव राम, पुत्र भगतु, उम्र 35 वर्ष, व्यवसाय नौकरी

(आरोपीगण)

सभी निवासी - सुखरी, पुलिस थाना -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

9. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

पुलिस थाना - जयनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

(अभियोजन पक्ष)

उपस्थितः-

श्री नीरज मेहता, दाण्डिक अपील संख्या 1106/2001 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री गुरूदेव शरण, दाण्डिक अपील संख्या 1182/2001 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री राजेश पांडे, दाण्डिक अपील संख्या 1211/2001 में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ।

श्री राजेश तिवारी, दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 551/2001 में आवेदकों के अधिवक्ता ।

श्री यू.एन.एस.देव, राज्य/ प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

युगल पीठ - माननीय श्री एल. सी. भादू

एवं माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्तिगण

मौखिक निर्णय

(5.4.2007 को दिया गया)

एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील संख्या 1106/2001 सुरजन राम द्वारा, दाण्डिक अपील बेचन राम द्वारा संख्या 1182/2001, दाण्डिक अपील संख्या 1211/2001, अचंभित राम एवं अन्य तथा पूरनराम एवं अन्य द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 551/2001 दायर अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा एस.टी. संख्या 7/2000 में पारित दिनांक 16.10.2001 के समान निर्णय से उत्पन्न हुए है, इसलिए सभी तीन अपील और पुनरीक्षण इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किये जा रहे है।

अभियुक्तों/ अपीलकर्ताओं ने यह अपीले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा एस.टी. संख्या 7/2000 में दिनांक 16.10.2001 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश की वैधता और सटीकता पर सवाल उठाते हुए प्रस्तुत की है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों अचंभित राम, धर्मपाल दास, पलदास, नोहर दास, सुरजन, लखन राम, हरिहर दास और बेचन राम को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों बलवा के रूप में दंगा करने और रामनारायण, अमर साई, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 302 के तहत अपराध कारित करने हेतु दोषी ठहराते हुये प्रत्येक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500/-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रूपये की जुर्माने से दण्डित हुआ था, तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक हत्या हेतु 5 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालाँकि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों छोटकू उर्फ रामप्रसाद, हुलास राम, धनी उर्फ धनेश्वर, भोरलू उर्फ मोहन राम, श्याम दास उर्फ अमदलिहा, दशई राम, रामदेव और बलदेव को सभी आरोपो से बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 2.10.99 को लगभग 5 बजे शाम को रामनारायण, अमर साय, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ (सभी मृतक) गुलाब दास (अ.सा.-15) और कृपा शंकर सिंह (अ.सा.-16) के साथ सुखरी गांव गए। वे बिशुन राम (अ.सा.-1) के घर पर बैठे थे। उस समय, लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी, लेकर 200-300 व्यक्ति मौके पर आ धमके। उन्होनें रामनारायण, अमर साय, जगधारी, पलवा उर्फ रामनाथ, कृपा शंकर (अ.सा.-16) और गुलाब दास (अ.सा.-15) पर हमला करना शुरू कर दियाा। सबसे पहले उन्होने जगधारी को घेर लिया, उन्होनें उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया, उसके बाद उन्होने रामनारायण और पलवा रामनाथ पर हमला किया, वे भी गिर गए। इसके बाद उन्होनें घर के पूर्व की ओर खेत में अमर साय पर हमला किया, वह भी गिर गया, हालाँकि, किसी तरह कृपाशंकर और गुलाब बचकर जंगल की ओर भाग गए। कृपाशंकर के पास तलवार थी, जो उसने बिशुन के घर में फेंक दी थी, जिसे रामदेव नाम के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यक्ति ने उठा लिया। अमर साय के पास गुप्ती थी, जिसके किसने लिया, यह पता नही। सभी अभियुक्त समान आशय की मारपीट मे शामिल हो गए। इस मारपीट में छोटकू, अचंभित, धर्मपाल, उसका छोटा भाई पाल, पुलस, धनी, भुरलू, श्याम गोंड़, नोहर दास, बलदेव हरिजन, सुरजन, लखनराम, दशई, रामदेव, हरिहर और चिरमिरी निवासी रोरवा शामिल थे। इन लोगों ने लाठी और ठेनगा से हमला किया।

उपरोक्त तथ्य की मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/43) बिशुन राम द्वारा दी गई। देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/44) बिशुन राम द्वारा दी गई। बिशुन राम द्वारा मर्ग सूचना प्र.-पी/45 भी दी गई थी, जिसके आधार पर भा.द.वि. की धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.-पी/46 दर्ज की गई थी। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और घटनास्थल का नक्शा प्र.-पी/47 तैयार किया। आई.ओ. ने रामनारायण की मृत्यु समीक्षा, प्र.-पी/16, अमर साय की मृत्यु समीक्षा प्र.-पी/17, जगधारी की मृत्यु समीक्षा प्र.-पी/18 और पलवा उर्फ रामनाथ की मृत्यु समीक्षा प्र.-पी/19 तैयार की। रामनारायण, अमर साय, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया जहां डॉक्टरों की टीम, डॉ. बृजेंद्र कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.-10), डॉ. एन.के. पांडे और डॉ. एस.के. सिन्हा ने रामनारायण, अमर साई, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ के शवों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का पोस्टमार्टम किया और क्रमशः पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.-पी.-10, प्र.पी.-11, प्र.-पी.-12 और प्र.-पी.-13 तैयार की। डॉक्टर ने बताया कि इन व्यक्तियों की मृत्यु का कारण कई चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। विवेचना पूरी होने के बाद, आरोपीगण छोटकू, धर्मपाल, अचंभित, रामदेव, सुरजन, बेचन राम, नौहर दास, लखन राम, हरिहर दास, दशई, श्याम, पालदास, भोरलू, धनेश्वर, बलदेवराम, हुलासराम के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सूरजपुर की न्यायालय में आभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को उपार्पित दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को विचारण के लिए अंतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए विचारण में 22 गवाहों का परीक्षण कराया| आरोपियों के बयान द.प्र.स. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में उनके खिलाफ आने वाली सामग्री से इंकार किया। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है। सुकुल राम और प्रभुराम ने 2-11-2000 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया कि उन्होंने घटना देखी थी। सुकुल राम ने कहा कि यह मृतक रामनारायण का भाई है और उसने अपराध देखा है। इसी तरह, प्रभुराम ने भी कहा है कि उसने आरोपियों को देखा था जब वे रामनारायण, अमर साई, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ

पर हमला कर रहे थे, इसलिए, विचारण न्यायालय ने उनके हलफनामों और आवेदनों पर विचार करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय के गवाह के रूप में बुलाया संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख की जांच, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के बाद विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों छोटकू उर्फ रामप्रसाद, हुलास राम, धनी उर्फ धनेश्वर, भोरलू उर्फ मोहन राम, श्याम दास अमदलिहा, दशई राम, रामदेव और बलदेव को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि आरोपी/अपीलकर्ताओं को दोषी करार दिया और उपरोक्तानुसार दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मृतक व्यक्तियों, अर्थात् रामनारायण, अमर साय, जगधारी और पलवा उर्फ रामनाथ के मानव वध से संबंधित तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अभि.सा.-10 डॉ. बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने उपरोक्त चारों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया था, ने बताया है कि मृत्यु का कारण कई चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। ये चोटें सामान्यतः मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं। अतः, उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्थापित होता है कि उपरोक्त व्यक्तियों की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी।

जहां तक संबंधित अपराध में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का संबंध है, गवाह अ.सा.-2 किशुन, अ.सा.-3 मिथिलेश कुमार गुप्ता, अ.सा.-4 महेंद्र, अ.सा.-5 शशि गुप्ता, अ.सा.-6 रामसुंदर, अ.सा.-7 सुखनाथ, अ.सा.-8 दुहन, अ.सा.-9 पुलसाय, अ.सा.-13 सियाचंद, अ.सा.18 गिरजानंदन, अ.सा.-19 कलमसाय और अ.सा.-20 शिव प्रसाद पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। निर्णय के पैरा-25 में न्यायालय के गवाह सुकुल रोम और प्रभु राम के साक्ष्य पर विचारण न्यायालय ने विश्वास नहीं किया है। यह उल्लेख किया गया है कि सुकुल रनपुर गांव का निवासी है, जबकि घटना सुखरी गांव में हुई थी, जो रनपुर गांव से लगभग 5 किमी दूर है। उसने कहा है कि उस दिन वह बिशुन राम (अ.सा.-1) के खेत में घास काटने गया था। न्यायालय ने पाया कि इस गवाह का आचरण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसे 5 किलोमीटर दूर घास काटने जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि घास तो रनपुर गाँव के खेतों में उपलब्ध थी। न्यायालय के गवाह प्रभु राम के साक्ष्य पर इस आधार पर विश्वास नहीं किया गया कि उसने यह नहीं कहा कि उसने वास्तव में अभियुक्तों को मृतकों पर हमला करते देखा था। बल्कि उसने यह कहा है कि उसने अभियुक्तों को मृतकों के शव को पलटते देखा था, जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि उसने यह कहा है कि उसे इस बारे में सूचित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटना की सूचना अ.सा.-15 गुलाब दास को दी गई, जो उसे सूचना देने के लिए" 5 किमी दूर रनपुर गांव आया था। सूचना मिलने के बाद वह सुखरी गांव गया, उसके बाद उसने आरोपियों को मृतक व्यक्तियोंके शवों को पलटते देखा, इस तथ्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अ.सा.-15 को रनपुर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगा होगा, उसके बाद यह व्यक्ति सुखरी गांव गया। आरोपियों के लिए घटनास्थल पर एक घंटे तक रुकना संभव नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा इन दोनों गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए बताए गए कारण उचित और प्रशंसनीय हैं। इसके अलावा, सुकुल राम ने कहा है कि वह बिशुन के खेत में घास काटने गया था, जबकि बिशुन ने यह नहीं कहा है कि सुकुल घटना वाले दिन उसके खेत में घास काटने आया था। इसके अलावा, सुकुल मृतक रामनारायण का भाई है, इसलिए वह एक हितबद्ध गवाह है और उसके साक्ष्य घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। साक्ष्य न्यायालय को विश्वास के लिए प्रेरित नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अब हमारे पास अ.सा.--15 गुलाब दास और अ.सा.-16 कृपाशंकर के साक्ष्य बचे हैं। जहाँ तक अ.सा.-15 गुलाब के साक्ष्य का प्रश्न है, उसने न्यायालय में पर्याप्त सुधार किया है। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता (प्रदर्श -डी/1) के तहत दर्ज अपने बयान में उसने मृतकों पर हमला करने वाले अभियुक्तों के नाम का खुलासा नहीं किया था, जबकि न्यायालय के समक्ष उसने

कहा था कि उसने अचंभित, धर्मपाल, नोहर और बेचन नामक अभियुक्तों को जगधारी और उसके बाद अमर साय पर हमला करते देखा था। उसने यह तथ्य विवेचना अधिकारी के समक्ष अपना बयान देते समय नहीं बताया था।

161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान में चार आरोपियों को मृतकों पर हमला करते हुए देखा गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा-7 में उन्होंने कहा है कि अगर उनके पुलिस डायरी बयान (प्रदर्श-डी/1) में यह नहीं लिखा है कि अचंभित, धर्मपाल, बेचन और नौहर घटनास्थल पर मौजूद थे, तो वह इसके लिए कोई कारण नहीं बता सकते। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने अपने बयान प्रदर्श-डी/1 के लगभग सभी हिस्से से इनकार किया कि विवेचना के दौरान उनके द्वारा पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। मुख्य परीक्षा में, न्यायालय द्वारा पूछने पर इस गवाह ने कहा है कि 20-25 लोग मौके पर आए थे। वह उन्हें पहचान नहीं सका। वह केवल 4 लोगों अचंभित, धर्मपाल, नोहर और बेचन को ही पहचान पाया। उन्होंने आगे कहा है कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि न्यायालय में मौजूद आरोपी व्यक्ति उन 20-25 लोगों में से हैं जो मौके पर आए थे इस गवाह के उपरोक्त साक्ष्य के मद्देनजर, यह विश्वास करना कठिन है कि यह गवाह मौके पर मौजूद था, उसने मृतक अमर साय और जगधारी पर हमला करने वाले कम से कम चार व्यक्तियों की पहचान की थी। यह स्वीकार किया जाता है कि यह गवाह रनपुर गाँव का है जो मृतकों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का भी गाँव था। उसने इन व्यक्तियों की पहचान के बारे में जानकारी के स्रोत का खुलासा नहीं किया है, खासकर जबकि वे दूसरे गाँव सुखरी के हैं। यहाँ तक कि विवेचना अधिकारी ने भी अभियुक्तों की पहचान परेड कराने की जहमत नहीं उठाई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह गवाह हमलावर पक्ष के सदस्यों की पहचान कर पाया था और न ही इस व्यक्ति ने यह बताया है कि जिन अभियुक्तों के नाम उसने लिए हैं और जिनकी पहचान की है, वे घटना से पहले से उसे जानते थे।

अ.सा.-1 बिशुन, जिसके घर पर घटना घटी, जो सुखरी गाँव का निवासी है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि न्यायालय में खड़े अभियुक्त वे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने मृतकों पर हमला किया था। इसलिए, अ.सा.-15 गुलाब दास का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यह स्थापित विधि है कि यदि किसी गवाह ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में कुछ नहीं कहा है और न्यायालयीन साक्ष्य में कोई सुधार किया गया है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अब अ.सा.-16 कृपाशंकर, जिसकी गवाही पर ट्रायल ने विश्वास किया और आरोपियों को दोषी ठहराया है, के साक्ष्य की जांच की जानी बाकी है। इस गवाह ने कोर्ट कहा है कि वह मृतकों के साथ घटनास्थल पर था। उसने कहा है कि घटना के समय वे बिशुन के घर में थे। उन्होंने देखा कि 25-30 व्यक्ति

लाठी, डंडा, तब्बल, तलवार और पत्थर लेकर हाथों में लेकर आए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा है कि आरोपी धर्मपाल, पाल, अचिंभित, नोहर दास, सुरजन, बेचन, लखन और हरिहर दास ने मृतकों पर हमला करना शुरू कर दिया, वे आज आरोपियों के साथ न्यायालय में मौजूद हैं। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप जगधारी और अमर साय गिर गए। उन्होंने उस पर भी 4-5 बार डंडे से हमला किया। वह भागकर अपने घर आ गया। उसे दाहिनी पसलियों और दाहिनी जांघ पर चोटें आई लेकिन अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए ऐसी कोई चोट रिपोर्ट पेश नहीं की है। उसने अपना बयान भी बदल दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वह घटनास्थल पर कैसे पहुंचा यानी उसने मृतकों के साथ घटनास्थल पर आने के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने पुलिस के सामने कहा था कि 50 लोग आए थे, वास्तव में, 20-25 लोग आए और हमला किया। पुलिस 'के बयान प्रदर्श-डी/2 में दर्ज 50 का आंकड़ा सही नहीं है। इस व्यक्ति ने अपनी प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि वह सूरजपुर की विभिन्न न्यायालयों में हत्या के एक मामले, भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के तहत अपराध करने के एक मामले और भारतीय दण्ड विधान की धारा

294 और 506-ख के तहत अपराध के एक अन्य मामले का सामना कर रहा है।

अ.सा.-1 बिशुन, जिसके घर पर घटना घटी, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने कहा है कि न्यायालय में मौजूद लोग उन लोगों के पक्ष में नहीं थे जिन्होंने मृतकों पर हमला किया था। न्यायालय के सामने इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की सत्यता पर फिर से सवाल उठता है कि यह व्यक्ति भी रनपुर का निवासी है, घटना सुखरी गांव में हुई थी जो कि 5 किमी दूर है, उसने आरोपियों की पहचान के स्रोत का खुलासा नहीं किया है कि वह आरोपियों को नाम से कैसे जानता था। उसने यह नहीं कहा है कि जिन आठ आरोपियों की उसने न्यायालय के सामने पहचान की है, वे घटना से पहले उसे जानते थे और न ही आई.ओ. ने पहचान परेड की व्यवस्था की थी, खासकर जब अभियोजन पक्ष का मामला है कि लगभग 200-300 लोग आए और हमला किया। इन परिस्थितियों में मृतक व्यक्तियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहचान परेड़ की व्यवस्था करना अनिवार्य था।

अभि.सा. - 15 गुलाब दास ने कहा है कि वास्तव में अचंभित, धर्मपाल, नोहर और बेचन ने जगधारी और अमर साय पर हमला किया था, जबकि इस व्यक्ति ने कहा है कि कि मृतक व्यक्तियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धर्मपाल, पाल, अचंभित, नोहर, सुरजन, बेचन, लखन और हरिहर दास शामिल हैं। इसलिए, यह विरोधाभास भी महत्वपूर्ण है जो इन गवाहों के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

इसलिए, इस गवाह की प्रकृति और पहले बताए गए कारणों को देखते हुए, हमारा मानना है कि इस गवाह का साक्ष्य पूरी तरह से मान्य नहीं है। इसके अलावा, वह एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है जिसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिए, इस गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को यथावत रखना मुश्किल है। भीमप्पा चंदप्पा होसामणि एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 (10) एसबीआर 13 में दर्ज अपने 20 सितंबर 2006 के फैसले में कहा था कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

".......एक चश्मदीद गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, लेकिन यह भी चेतावनी दी गई है। कि ऐसा करते समय न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की है कि न्यायालय को केवल उसी गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का फैसला करना सुरक्षित लगता ऐसा करते समय न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता की जांच उसके साक्ष्य की गुणवत्ता के संदर्भ में करनी चाहिए। साक्ष्य किसी भी दोष या दोष से मुक्त होना चाहिए।

संदेह, न्यायालय को पूर्णतः सत्य प्रतीत होना चाहिए, स्वाभाविक प्रतीत होना चाहिए तथा इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि न्यायालय को केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने में कोई हिचकिचाहट न हो।"

उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, यदि हम अ-सा.-16 कृपाशंकर की गवाही की कसौटी पर कसें, तो पूर्वोक्त कारणों से, उसकी गवाही को पूर्णतः प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। उसकी गवाही न्यायालय को इस साक्षी की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराने हेतु पूर्ण विश्वास को प्रेरित नहीं करती ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चन्द्र शेखर बिंद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में (2001) 8 सुप्रीम कोर्ट केस 690, पैरा-9 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:-

"इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1965 एससी 202) के मामले में माना है कि साक्ष्य अधिनियम के तहत, एक गवाह द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन गवाहों द्वारा दिया गया साक्ष्य जो विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह माना गया था कि जहां एक दाण्डिक न्यायालय को बड़ी संख्या में अपराधियों से जुडे अपराध के कारित सबूतों से निपटना होता है, यह परीक्षण अपनाना

सामान्य है कि दोषसिद्धि तभी कायम रह सकती है जब इसका समर्थन किया जाए, दो या तीन या अधिक गवाह जो घटना का एक सुसंगत विवरण देते हैं। यह माना गया कि एक अर्थ में, परीक्षण को यांत्रिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन इसे तर्कहीन या अनुचित नहीं माना जा सकता है। यह माना गया कि भले ही यह साक्ष्य की गुणवत्ता है जो मायने रखती है और गवाहों की संख्या नहीं, फिर भी इस तरह के यांत्रिक परीक्षण को अपनाना उपयोगी है। इस दो गवाह सिद्धांत को इस न्यायालय ने बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में भी अपनाया है। यह माना जाता है कि साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि कोई दोषसिद्धि तब तक आधारित नहीं हो सकती जब तक कि गवाहों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या ने किसी विशेष अभियुक्त की पहचान विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में नहीं की हो। यह माना जाता है कि यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि वजन को भी देखा जाना चाहिए और यह साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो मायने रखती है। यह अवधारित किया जाता है कि एक गवाह की गवाही भी पूरी तरह से विश्वसनीय है यह माना जाता है कि फिर भी, जब विधि विरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो और कई लोगों ने घटना को देखा हो, तो यह विवेकपूर्ण होगा कि बल्वे में भाग लेने वाले एक आरोपी की पहचान कम से कम दो विश्वसनीय गवाहों पर जोर दिया जाए ताकि घटना की पुष्टि हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंगे में भाग लेने वाले एक आरोपी की पहचान इस मामले में भी, यह जरूरी है कि दो गवाह सिद्धांत पर जोर दिया जा सके, इस कारण से कि लगभग सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं। यहां तक कि बिशुन, जिसके घर पर घटना हुई थी, ने कहा है कि जिन लोगों ने मृतकों पर हमला किया था, वे न्यायालय में खड़े आरोपियों में शामिल नहीं हैं। इस मामले में भी दो-गवाह सिद्धांत पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि यह गवाह रनपुर गांव का है, जबकि घटना सुखरी गांव में हुई थी, जो 5 किमी दूर है। इस गवाह ने आरोपियों की पहचान के आधार का खुलासा नहीं किया था, इसलिए, इस गवाह के एकल साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई तथ्य की खोज को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह भी स्थापित विधि है। कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की जांच करते समय न्यायालय को अधिक सावधान रहना चाहिए, गवाह के साक्ष्य की सत्यता का पता लगाने के लिए सख्त जांच लागू करनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यद्यपि अपराध के पीछे के हेतुक का पता लगाना कठिन है, क्योंकि उद्देश्य हमेशा अभियुक्त के मन में रहता है। लेकिन यदि हेतुक सिद्ध हो जाए तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करना आसान हो जाता है। जहाँ अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ हेतुक सिद्ध

करना अधिक कठिन होता है। लेकिन तथ्य यह है कि जब भीड़ द्वारा हमला किया जाता है, अर्थात बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा, विशेष रूप से

एक ही गांव के बड़ी संख्या में लोगों द्वारा दूसरे गांव के छह लोगों पर हमला, जिसमें मृतक भी तलवार, गुप्ती जैसे घातक हथियार लिए हुए थे, जांच एजेंसी के लिए अपराध के पीछे के हेतुक को अभिलेख में लाना मुश्किल नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर भीड़ के हमले के पीछे के हेतुक को दबा दिया है और इस तरह अभियोजन पक्ष ने अपराध की उत्पत्ति को दबा दिया है। इस कारण से भी अकेले गवाह यानी अ.सा.-16 कृपा शंकर के साक्ष्य पर पूरा भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 और 147 के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का विचारण न्यायालय का निष्कर्ष बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्यों की गहन जाँच और मूल्यांकन किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियोजन पक्ष दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है और इसी कारण से, हमारा यह भी मानना है कि अभियोजन पक्ष भी बरी किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है। इसके अलावा, अ-सा.-15 गुलाब और अ-सा.-16 कृपाशंकर, तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी, जिनके बयान पर आठ

व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है, ने भी इन बरी किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। अतः, पूरनराम और प्रभु राम द्वारा दायर दाण्डिक पुनरीक्षण भी खारिज किए जाने योग्य है। हमें उपरोक्त सभी आठ अभियुक्तों को बरी करने के निचली न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

परिणाम में :-

दांडिक पुनरीयक्षा 31/2001 खानिज की जाती है।

बेचन राम द्वारा दायर दाण्डिक अपील संख्या 1182/2001, अचंभित राम, धर्मपाल दास, पाल दास, नोहर दास, लखनराम, हरिहर दास और बेचैन राम द्वारा दायर दाण्डिक अपील संख्या 1211/2001, और सुरजन राम द्वारा दायर दाण्डिक अपील संख्या 1106/2001 स्वीकार की जाती है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 147 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। उन्हें उक्त आरोपों से बरी किया जाता है। यह उल्लेख किया जाता है कि सभी 8 अभियुक्त/अपीलकर्ता 4-10-99 से जेल में हैं, इसलिए, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-एल.सी. भादू **सही -धीरेन्द्र मिश्रा**

न्यायमूर्ति **न्यायमूर्ति**

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Translated by- Aakash Kumar Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur